[28/7/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 1957]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 1957 के परिशिष्ट "क" का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दि. 20/07/17 28/07/17

प्रश्नकर्ता श्री रामलाल भारती

मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 3 / 07 / 09

:: आ दे श ::

क्रमांक एफ 10--101 / 2001 / 17 / मेडि--2 :: लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 17 / 10 / 2007 के अनुक्रम में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड योजना के तहत ग्रीन कार्ड धारकों की अध्ययनरत संतानों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति / वापसी किये जाने के संबंध में पूर्ण विचार उपरांत राज्य शासन द्वारा मंत्रि--परिषद में दिनांक 23 जून, 2009 को निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं --

1/ दिनांक 13 / 05 / 2003 के पूर्व अध्ययनरत ग्रीन कार्ड धारकों के संतान के शिक्षण शुल्क उनके पाठ्यक्रम पूरा करने तक माफ रहेगी। इन संस्थाओं को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी। यदि इनसे दिनांक 13 / 05 / 2003 के बाद शिक्षण शुल्क लिया गया है तो संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी कि वे उन्हें यह राशि वापस करें।

2/ दिनांक 13 / 05 / 2003 से मंत्रि--परिषद निर्णय दिनांक तक के दौरान शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले पात्र ग्रीन कार्ड धारकों की संतान के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित संस्थाओं को करने के लिये चिकित्सा शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अपने-अपने बजट में आवश्यक प्रावधान करें। इस हेतु आवश्यकतानुसार इनकी आयोजना सीमा में वृद्धि की जाय।

3/ पूर्व व्यवस्था अनुसार अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत / प्रवेश पाने वाले छात्रों को शिक्षण शुल्क माफी / प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं रहेगी।

4/ चिकित्सा महाविद्यालय (शासकीय स्वशासी), शासकीय अभि-यांत्रिकी महाविद्यालयों, शासकीय पॉलीटेक्नीक, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में दिनांक 13 / 05 / 2003 के पूर्व नसबंदी कराने वाले समस्त ग्रीन कार्ड धारकों तथा दिनांक 13 / 05 / 2003 के बाद नसबंदी कराने वाले केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रीन कार्ड धारकों की संतानों को केवल एक ही डिग्री / पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता होगी। आवश्यक होने पर इन संस्थाओं को अनुदान संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा दिया जायेगा।

2/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

2/7/09

(जयश्री कियावत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमशः 2

१० क्र.१५१

3००

पृ.क्रमांक एफ 10–101/2001/17/मेडि–2 भोपाल, दिनांक 3/07/09

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, 'मंत्रालय',भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, लोक स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग, 'मंत्रालय', भोपाल।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, 'मंत्रालय', भोपाल।
4. समस्त प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, 'मंत्रालय', भोपाल।
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
6. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश शासन।
8. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश।
9. संचालक, लोक स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/चिकित्सा सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. संचालक, तकनीकी शिक्षा, संचालनालय म.प्र. भोपाल।
11. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, संचालनालय म.प्र. भोपाल।
12. संचालक (बजट), म.प्र. शासन, वित्त विभाग, 'मंत्रालय', भोपाल।
13. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
14. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
15. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
16. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग